न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 130/2023

अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र भादरराम निवासी कर्मशाना तहसील नोहर ।

– सायल

बनाम्

1. जीतराम पुत्र रूघाराम निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र रूघाराम निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्ररूघाराम निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री सुरेन्द्र प्रताप भारी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 01/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 की कुल 6.4500 हैक्ट भूमि सायल के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के खसरे आपस में चिप्ते हुए है गैरसायलान की भूमि सायल की भूमि के दक्षिण में है गैरसायल द्वारा सायल के कब्जा काश्त की भूमि में दखल दिया जा रहा है एवं सायल की भूमि पर काबिज होने पर आमाद है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कायमाब हो गये तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 की कुल 6.4500 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की गैरसायलान, सायल के कब्जा काश्त मे दखल न देवे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 की कुल 6.4500 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थीगण के रिकार्ड में धारित रकबे में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे एवं यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:59:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 की कुल 6.4500 हैक्ट भूमि सायल के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि गैरसायलान द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबिज हो की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा मे दखल दिया जा रहा हो, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:59:00 IST
Reason: SelfAttested